

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक
नि. (फ)-13/2/2020-प्रशाखा-09-RCS-Part (1)

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं बिहार राज्य सब्जी एवं प्रसंस्करण योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु PMU के रूप में चयनित कंपनी Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PwC) को अष्टम् (01.12.2023 से 28.02.2024) एवं नवम् (01.03.2024 से 31.05.2024) त्रैमासिक में किये गये कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक के रूप में प्रति तिमाही राशि 27,50,000.00 (सत्ताईस लाख पचास हजार) की दर से कुल 55,00,000.00 (पचपन लाख) रुपये एवं 18% GST के रूप में कुल 9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार) रुपये के साथ कुल 64,90,000.00 (चौसठ लाख नब्बे हजार) रुपया मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं बिहार राज्य सब्जी एवं प्रसंस्करण योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु PMU के रूप में चयनित कंपनी Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PwC) को अष्टम् (01.12.2023 से 28.02.2024) एवं नवम् (01.03.2024 से 31.05.2024) त्रैमासिक में किये गये कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक के रूप में प्रति तिमाही राशि 27,50,000.00 (सत्ताईस लाख पचास हजार) की दर से कुल 55,00,000.00 (पचपन लाख) रुपये एवं 18% GST के रूप में कुल 9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार) रुपये के साथ कुल 64,90,000.00 (चौसठ लाख नब्बे हजार) रुपया मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि की निकासी माँग संख्या-09 शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-110-फसल बीमा, उप शीर्ष-0112-बिहार राज्य फसल सहायता योजना, विपत्र कोड-09-2401001100112 विस्तृतशीर्ष-28-व्यवसायिक सेवायें, विषय शीर्ष-04-व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। राशि की निकासी सी.एफ.एम.एस. (CFMS) में Fully voucher contingent bill के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PwC) को भुगतान किया जायेगा। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

~

कृ०पृ०उ०

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या नि.फ)-13/2/2020-प्रशाखा-09-RCS-Part (1) के पृष्ठ संख्या- 33/टि0 पर दिनांक 20.12.2024 को दी गई है।

8. स्वीकृत्यादेश पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृति संचिका संख्या नि.फ)-13/2/2020-प्रशाखा-09-RCS-Part (1) के पृष्ठ संख्या- 35/टि0 पर दिनांक 31.12.2024 को दी गई है।

ह0/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक

393

/पटना, दिनांक

03/01/25

नि.फ)-13/2/2020-प्रशाखा-09-RCS-Part (1)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव सहित/अवर सचिव, प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र एवं लिपिक कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
3. शशिकान्त सिंह, प्राईस वाटर हाउस कूपर्स लि0, इंडिया हाउस नं0-10, टावर सी0 डी0 एल0 साईवर सीटी फेज-2, गुरुग्राम, हरियाणा।

15/1
03-01-2025

13.01.25

सरकार के अपर सचिव।